

अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटाँड़ (विद्यासागर)।

अभिलेख संख्या:- 120/2015-16

दिनांक	आदेश फलक	मंतव्य
1	2	3
6.3.17	अभिलेख उपस्थापित वादी उपस्थित है। वादी ने बताया है कि उसने सारा बकाया राशि जमा कर दी है। बैंक अधिकारी ने पंजी- IX तथा X का मिलान कर, समाप्त अंकित करते हुए इसकी पुष्टि की है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं सशोधित अंचल अधिकारी, करमाटाँड़ (विद्यासागर)।	अंचल अधिकारी, करमाटाँड़ (विद्यासागर)।
10.12.21	अभिलेख उपस्थापित। वादी तथा बैंक अधिकारी उपस्थित हैं। बैंक राशि वसुली के संबंध में उक्त पक्ष का कहना है कि बैंक की राशि चुकता कर दी गई है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 10.12.21 नीत पत्र 440 - 44 - डि० अ० करमाटाँड़ (विद्यासागर)	